न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर

मनोज बनाम राज.सरकार
एफआईआर संख्या 01/2025 पुलसि थाना अरांई
सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र सं. 09/2026
सीआईएस संख्या 31/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार मनोज की ओर से अधिवक्ता श्री जटाशंकर तिवारी उपस्थित। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार की ओर से एफआईआर सं. 01/2026 थाना अरांई में जप्तशुदा वाहन आरजे 45 सीआर 1388 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर केस डायरी तलब की गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जप्तशुदा वाहन के संबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्राथी/सुपुर्दगीदार को वाहन के अभाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अत : प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिया जावे। इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की। हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया और केस डायरी का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में समय लगने व वाहन के थाने पर खडे रहने से उसके मूल्य में क्षति होने की संभावना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वह उसका पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 बीएनएसएस स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी सात लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि की जमानत निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तो प्रस्तुत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन संख्या आरजे 45 सीआर 1388, जिसका इंजन नंबर K12NP4039323 व चेचिस नंबर MBHCZCB3SML905602 है, को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जावे। 1– संबंधित थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी के खर्चे पर वाहन के रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें वाहन की पहचान स्पष्ट दर्शित हो, प्रार्थी की उपस्थिति में अलग–अलग ऐंगल से खिंचवाकर उक्त फोटोग्राफ मय तैयार की गई इन्वेन्ट्री न्यायालय में प्रस्तुत करेंगें। 2– प्रार्थी/सुपुर्दगीदार इस आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि वह प्रश्नगत वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा तथा न्यायालय के	

	आदेशानुसार वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। **3**– प्रार्थी/सुपुर्दगीदार इस आशय की अन्डरटेकिंग देगा कि भविष्य में उक्त वाहन का अन्य कोई दावेदार अथवा अन्वीक्षा के दौरान आपत्ति प्रस्तुत होने पर समस्त जिम्मेदारी उसकी होगी। 4– संबंधित वाहन राजसात किये जाने पर प्रार्थी/सुपुर्दगीदार सुपुर्दगीनामे की राशि न्यायालय में जमा करायेगा। (संदीप आनन्द) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 01 किशनगढ़ जिला अजमेर। आदेशानुसार जमानतनामा सुपुर्दगीनामा पेश हुये जो बाद जांच तस्दीक किये गये, शामिल पत्रावली रहे। वाहन उन्मुक्त का आदेश जारी हो और आदेश में यह अंकित किया जावें कि वाहन के चारों ओर के रंगीन फोटोग्राफ वाहन सुपुर्दगी पर लिये जाने से पूर्व प्रार्थी के व्यय पर खिचायें जावें तत्पश्चात प्रार्थी/सुपुदर्गीदार को वाहन सुपुर्दगी पर दिया जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न पत्रावली रहे। (संदीप आनन्द) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 01 किशनगढ़ जिला अजमेर।	